न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

Order Sheet

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विष्णु बनाम सरकार **मुतफरीक फौजदारी प्रकरण सं.:– 149 / 2026** **इस्तगासा संख्या 23 / 2026 पी.एस. धंबोला** **अपराध अन्तर्गत धारा– 185 एमवीएक्ट** **सीएनआर नंबर–** RJDG09-000330-2026	

11.03.2026

प्रार्थी विष्णु मय अधिवक्ता **श्री कालुराम डामोर के साथ** उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो।

इस आदेश के द्वारा प्रार्थी / सुपुर्दगीदार **विष्णुकुमार पिता भमरू निवासी कोटडा जिला उदयपुर** द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 / 503 बीएनएसएस **दिनांक 10.03.2026** का निस्तारण किया जा रहा है।

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र की नकल सहायक लोक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। उभय पक्षकारान को सुना गया। केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई जिसका अवलोकन किया गया।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा **वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 27 एएक्स 5740** प्रार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य का है। उक्त वाहन की अनुसंधान में पुलिस को अब आवश्यकता नहीं है। बिना रख–रखाव के उक्त वाहन खुले में पड़ा–पड़ा खराब हो जायेगा। अतः उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी पर प्रदान नहीं किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। केस डायरी / पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर आया है, कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान् प्रार्थी के **वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 27 एएक्स 5740** को अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। प्रार्थी ने उक्त वाहन स्वंय के स्वामित्व का होना बताते हुए वाहन से संबंधित दस्तावेजात भी पेश किये है, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। अभियुक्त द्वारा मूल प्रकरण का जूर्म स्वीकारोक्ति पर निर्णय हो चुका है। **प्रकरण में पुलिस थाना धंबोला** द्वारा प्रकरण में जप्त शुदा वाहन की प्रकरण के अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होने बाबत् रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का कोई अन्य दावेदार भी उपस्थित न्यायालय में नहीं आया है।

निरंतर................

निरंतर.......

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने न्यायिक निर्णय सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई व सी.एम. मुदलियार बनाम गुजरात राज्य **2002 supp(3) SCR 39** "Whatever be the situation it is of no use to keep such seized vehicles at the police station for a long period. It is for the magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bound and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if required at any point of time."

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का सर्वोत्तम हकदार **प्रार्थी** को मानते हुए उक्त **वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 27 एएक्स 5740** प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः **प्रार्थी** को प्रकरण में जब्तशुदा **वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 27 एएक्स 5740** को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने बाबत् **80,000/– रूपये** का सुपुर्दगीनामा इन शर्तों के अध्यधीन पेश कर तस्दीक करा देवे, कि वह उक्त वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन या अन्यसंक्रांत नहीं करेगा। उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वाहन को स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा तथा वाहन का बीमा कराये जाने के पश्चात ही वाहन सुपुर्द किया जाने का तहरीर में नोट लगाया जावें तो **प्रार्थी विष्णु कुमार** को सुपुर्दगी पर दे दिया जावें। आदेश सुनाया गया। आदेशानुसार प्रार्थी ने सुपुर्दगीनामा पेश किये, जो बाद जॉच तस्दीक किये। शामिल प्रार्थना पत्र रहे। सुपुर्दगी हेतु संबंधित थाना को तहरीर जारी हो।

प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

11/3/26

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

RAMANALAL

sehrishtedar grade-II
"I attest to the accuracy and authenticity of document."
Digitally signed by RAMANALAL
Location: JM COURT SIMALWARA
Date: 2026.03.13 12:39:20 +0530